167

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1153–एक/2010 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 5–8–2010 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 6/2009–10 अपील

1– अतर सिंह पुत्र करन सिंह
2– व्दारिकासिंह पुत्र करन सिंह
दोनों गाम रघुनाथसिंह का पुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजबहादुर सिंह पुत्र महाराज सिंह
2– रामसेवक सिंह पुत्र महाराज सिंह
3– बालकृष्ण सिंह पुत्र महाराज सिंह
निवासी ग्राम सर्वा तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक ए0के0अग्रवाल)

आ दे श
(आज दिनॉक 17-1-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 6/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम सर्वा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 88 रकबा 0.98 हैक्टर पर उन्हें

फलदार वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान की जावे। तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद ने प्रकरण कमांक 3/2003-04 अ 61 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 9-8-2004 से आवेदकगण को संहिता की धारा 239 के अंतर्गत वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान कर दी। इसी दरम्यान अनावेदकगण ने तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी कि बंदोवस्त के दौरान उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 2851 एंव 2852 को मिलाकर सर्वे नंबर 87 बनाया गया है जबकि नवीन बनाये गये सर्वे नंबर 88 की भूमि पर वह पूर्वजों के समय से खेती करते आ रहे है इसलिये बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि को संहिता की धारा 89 के अंतर्गत सुधार करवाया जाय।

तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद के प्रकरण कमांक 3/2003-04 अ 61 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2004 विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष दिनांक 9-5-2007 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने प्रकरण कमांक 74/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-9-2007 से अपील समयवाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 6/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 5 अगस्त 2010 से तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद के आदेश दिनांक 9-8-2004 से दी गई वृक्षारोपण की अनुमति के भाग को निरस्त किया तथा प्रकरण कलेक्टर भिण्ड को निर्देश दिये गये कि वह भूमि सर्वे कमांक 2851 एंव 2852 को मिलाकर सर्वे नंबर 87 एंव नवीन सर्वे नंबर 88 की भूमियों के सम्बन्ध में जॉच कर विधिवत् कार्यवाही करें। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 6/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त 2010 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 6/2009-10 के अवलोकन पर पाया कि इस प्रकरण में अपर अप आयुक्त चम्बल संभाग ने अपील प्रकरण को निगरानी में बदलकर आदेश पारित किया है। विचार योग्य है कि क्या न्यायालय में प्रचलित अपील को निगरानी में बदलकर सुना जा सकता है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त चम्बल संभाग व्दारा आदेश दिनांक 5-8-10 के पद 4 में माननीय न्यायालयों के न्याय दृष्टांतों का अवलम्बन लेकर विस्तृत विवेचना उपरांत निष्कर्ष निकाला है जिससे असहमत होने की गुॅजायश विचाराधीन प्रकरण में नहीं है।

5/ प्रकरण में देखना यह है कि जब अनावेदकगण व्दारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 89 के अंतर्गत दिया गया आवेदन, कि बंदोवस्त के दौरान उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 2851 एंव 2852 को मिलाकर सर्वे नंबर 87 बनाया गया है जबकि नवीन बनाये गये सर्वे नंबर 88 की भूमि पर वह पूर्वजों के समय से खेती करते आ रहे है इसलिये बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि को संहिता की धारा 89 के अंतर्गत सुधार करवाया जाय, लम्बित था तब क्या तहसीलदार वृत्त एण्डोरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/2003-04 अ 61 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2004 से आवेदकगण को संहिता की धारा 239 के अंतर्गत वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान करना उचित माना जा सकता है। अनावेदक के आवेदन के तथ्यों अनुसार जब मूल भूमि सर्वे क्रमांक 88 का रकबा बंदोवस्त की त्रृटि के कारण विवादित है तब विवादित रकबे का निकाल किये बिना एंव भूमि चिन्हित हुये बिना आवेदकगण के हित में आदेश दिनांक 9-8-2004 से दी गई फलदार

वृक्षारोपण की अनुमति उचित नहीं मानी जा सकती , जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 6/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2010 से भूमि सर्वे क्रमांक 2851 एंव 2852 को मिलाकर बनाये गये सर्वे नंबर 87 एंव भूमि सर्वे क्रमांक 88 की भूमियों के बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि की जॉच एंव सुधार हेतु कलेक्टर भिण्ड को निर्देश देने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की रगई है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 6/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2010 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर